

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

Sr. No.	Name of the Officers/ official with designation	Residencial/Official Address
1.	Sh. Jai Parkash Mann; Deputy Labour Commissioner (Retd.)	Flat No. 23, HEWO Apartments, Sector-16A, Faridabad (M.No. 981028775)
2.	Sh. Ravinder Singh Malik, Deputy Director (IS&H)	O/o Deputy Director (IS&H)-I, Mini Secretariate, 4 th Floor, Gurugram.
3.	Sh. Deepak Malik, Assistant Director (IS&H)	O/o Deputy Director (IS&H)-I, Mini Secretariate, 4 th Floor, Gurugram.
4.	Sh. Sudhir Kadian, Assistant Director (IS&H) (Suspended)	O/o Labour Commissioner, Haryana.
5.	Sh. Vinod Kumar Dahiya, Assistant Labour Commissioner.	O/o Deputy Labour Commissioner, Faridabad.
6.	Sh. Rajiv Yadav, Assistant Labour Commissioner.	O/o Deputy Labour Commissioner-I, Gurugram.
7.	Sh. Sushil Mann, Labour Inspector.	O/o Assistant Labour Commissioner, Palwal.
8.	Sh. Ramesh Kr., Labour Inspector.	O/o Assistant Labour Commissioner, C-3, Faridabad.
9.	Sh. Pankaj Bharti, Labour Inspector	O/o Assistant Labour Commissioner, Jhajjar at Bahadurgarh.
10.	Sh. Dharm Pal Sharma, Labour Inspector. (Retd.)	Sh. Dharm Pal Sharma, Labour Inspector. (Retd.) H.No. 33, Gali No. 4, West Rajeev Nagar, Gurugram.
11.	Sh. Subhash Shammi, Labour Inspector. (Retd.)	Sh. Subhash Shammi, Labour Inspector. (Retd.) House No. 586, Gali No. 10, Jyoti Park, Gurugram.

क्रमांक: स्था0/01/2019/ 12377-88 दिनांक: 25-4-19

Subject:- Regarding review meeting of CM Window held on 14.02.2019.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2012 गुरुग्राम में श्रमिक खेल प्रतियोगिता के आयोजन पर स्वीकृत बजट राशि से अधिक खर्च की गई राशि की बसूली करने बारे कहा गया है। बोर्ड ने उक्त खेलों के आयोजन हेतु श्री नरेश नरवाल, एच.सी.एस. तत्कालीन अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन.सी.आर.), गुरुग्राम की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2012 व 26.03.2012 को श्रम विभाग व हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों की बैठक हुई और बैठक में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमेटी गठित की गई थी और कमेटी में उप श्रम आयुक्त, सर्कल-2 की अध्यक्षता में उप श्रम आयुक्त-I व II, उप निदेशक कार्यालय अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन.सी.आर.), गुरुग्राम में रेट निर्धारित करने बारे कहा गया था।

डा0 अनुराधा लाम्बा तत्कालीन उप श्रम आयुक्त, सर्कल-1, गुरुग्राम, श्री जे0पी0 मान, उप श्रम आयुक्त (सेवानिवृत्त) तथा श्री आर.एस. मलिक उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र क्रमांक 6113 दिनांक 19.12.2012 द्वारा बोर्ड के मुख्यालय को भेजते हुए अनुरोध किया गया था कि उक्त फर्म की जो राशि उचित है वह राशि अनुमोदित करवाकर भिजवा दी जाए तथा बाकि राशि अन्य संस्थाओं से प्रायोजित करवा ली जाएगी परंतु जब कुल राशि 16,40,526 रुपये के बिल में से 8,05,838

रुपये की उचित राशि अनुमोदित बजट अनुसार जारी कर दी गई तो उसके बाद उक्त अधिकारियों द्वारा पत्र क्रमांक 2293 दिनांक 30.04.2013 के माध्यम से बिल की शेष राशि अन्य संस्थाओं से प्रायोजन करवाए जाने की सम्भावनाएं क्षीण बताते हुए बकाया बिलों की राशि की अदायगी करने हेतु बोर्ड का सिफारिश की गई थी।

उक्त के अतिरिक्त M/s R.K. Tent House, Gurugram के कुल बिल 5,95,435/—रु० के थे जिसमें से 4,10,645/—रु० की उचित राशि अनुमोदित बजट अनुसार जारी कर दी गई थी तथा 1,84,790/—रु० रुपये की राशि भी उक्त कमेटी में सम्मिलित अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत तौर पर खर्च की गई थी।

उक्त मामलों में बजट से अधिक खर्च की गई राशि को स्वीकृत करवाने हेतु मामला माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा को प्रस्तुत किया गया, क्योंकि बोर्ड का गठन नहीं हुआ था। दिनांक 12.03.2018 को बोर्ड का गठन हुआ तथा उक्त मामला आदेशानुसार नवगठित बोर्ड की बैठक में पूर्ण विवरण सहित दिनांक 09.11.2018 में रखा गया, जिसमें बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अनाधिकृत तौर पर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी से बजट से अधिक खर्च जोकि कुल 9,90,628/—रु० है को बोर्ड के कोष से अदायगी न करने बारे निर्णय लिया गया।

उक्त वर्णित स्थिति अनुसार $834688 + 184790 = 10,19,478/-$ रुपये की बकाया राशि की रिकवरी जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों से की जानी बनती है। जिसकी रिकवरी तालिका में दर्शाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों से 78,421/—रु० के हिसाब से की जानी है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि 78,421/—रु० की राशि कल्याण आयुक्त, हरियाणा के पक्ष में देय चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पत्र प्राप्ति के दो दिन के अन्दर-2 अदा करें, अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए मामला सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

पृष्ठाकांन क्रमांक: स्था०/०१/२०१९ 12389

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा०),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।
दिनांक: 25-4-19

पत्र की प्रति कल्याण आयुक्त, हरियाणा कार्यालय वेज न० 29-30 (पाकेट-11), सैक्टर-04, पंचकूला को उनके पत्र दिनांक 08.03.2019 व 09.04.2019 के संबंध में सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा०),
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।